

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व

भोरा का खेड़ा

भू अभिलेख निरीक्षक

चिताम्भा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार - करेड़ा

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम

कुवाड़ा

पटवार हल्का मोरा का खेड़ा तहसील करेड़ा

व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत्

2074-2077

में खाता संख्या 121

में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
04	कुवाड़ा	121	उरजा पि. बगता	अर्जून सिंह पि. बगतावट सिंह

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 30/11/21

क्रमांक/न्यायालय /2021 /09

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री अर्जून सिंह पि. बगतावट सिंह

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा



PP09/2021

2021/845